

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-2555

दिनांक: 11/9/23

श्री दिलीप सिंह पुत्र डॉ. हरि सिंह,
बी-209-6, राजेन्द्र मार्ग, नगर निगम ऑफिस,
वार्ड नं. 45 के सामने, बापू नगर, जयपुर (राज.)

विषय:- ग्राम जगतश्रवणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 179, 180 एवं 172 कुल किता 3 कुल रकबा 1.90 हैक्ट. भूमि पर आवासीय योजना "गुलाब हरि एनक्लेव ब्लॉक-ए" का मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा ग्राम जगतश्रवणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 179, 180 एवं 172 कुल किता 3 कुल रकबा 1.90 हैक्ट. भूमि पर आवासीय योजना "गुलाब हरि एनक्लेव ब्लॉक-ए" का मानचित्र जारी करने हेतु आवेदन किया गया है।

आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम जगतश्रवणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 179, 180 एवं 172 कुल किता 3 कुल रकबा 1.90 हैक्ट. भूमि पर आवासीय योजना "गुलाब हरि एनक्लेव ब्लॉक-ए" का मानचित्र रिकॉर्ड शाखा में (डी.आर.जी.) क्रमांक 1301/बी दिनांक 04.09.2023 पर दर्ज किया गया है।

अतः रिकॉर्ड शाखा में दर्ज किये जाने के पश्चात् योजना मानचित्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- योजना मानचित्र की छायाप्रति।

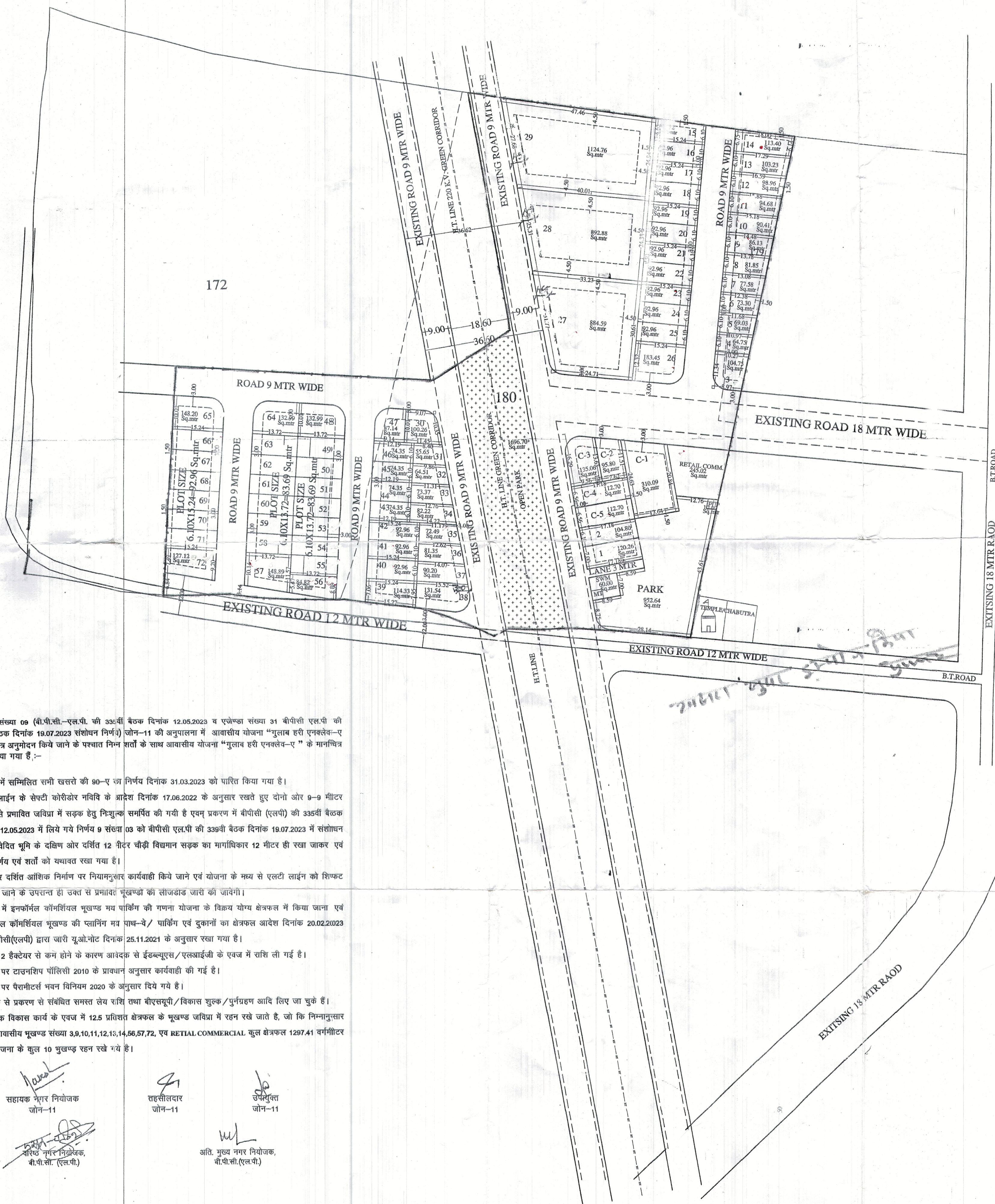
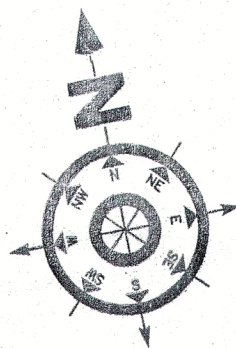
Dr. H.

उपाध्यक्ष, जयपुर-11
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

LAYOUT PLAN OF SCHEME "GULAB HARI ENCLAVE BLOCK-A"
AT VILL- JAGAT SARVANPURA TEH- SANGANER JAIPUR AT KH.No (179,180&172)

1301
B.
4.9.23

SCALE:-1:1000
675



एखण्ड संख्या 09 (बी.पी.सी.-एल.पी. की 335वीं बैठक दिनांक 12.05.2023 व एखण्ड संख्या 31 बीपीसी एल.पी की 339वीं बैठक दिनांक 19.07.2023 संशोधन निर्णय) जोन-11 की अनुपालना में आवासीय योजना "गुलाब हरी एनक्लेव-ए" भूमि विनियमन अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार आवासीय योजना "गुलाब हरी एनक्लेव-ए" के मानचित्र जारी किया गया है :-

- 1. योजना में सम्मिलित सभी खसरा की 90-ए का निर्णय दिनांक 31.03.2023 को पारित किया गया है।
- 2. एचटी लार्डन के सेफ्टी कोरीडोर नववि के आदेश दिनांक 17.06.2022 के अनुसार रखते हुए दोनों ओर 9-9 मीटर सड़क से प्रभावित जमिनीय में सड़क हेतु निशुल्क समर्पित की गयी है एवं प्रकरण में बीपीसी (एलपी) की 335वीं बैठक दिनांक 12.05.2023 में लिये गये निर्णय 9 संख्या 03 को बीपीसी एलपी की 339वीं बैठक दिनांक 19.07.2023 में संशोधन कर आवेदित भूमि के दक्षिण ओर दक्षिण 12 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क का मार्गाधिकार 12 मीटर की रखा जाकर एवं शेष निर्णय एवं शर्तों को यथावत रखा गया है।
- 3. मोके पर दक्षिण आंशिक निर्माण पर नियामक द्वारा कार्यवाही किये जाने एवं योजना के मध्य से एलटी लार्डन को शिफ्ट करवाये जाने के उपरान्त ही उक्त से प्रभावित भूखण्डों को लॉन्गटर्म जारी की जावेगी।
- 4. योजना में इनफार्मल कॉमर्शियल भूखण्ड मय पार्किंग की गणना योजना के विनियम योग्य क्षेत्रफल में किया जाना एवं इनफार्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग मय पार्किंग एवं दुकानों का क्षेत्रफल आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बीपीसी(एलपी) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार रखा गया है।
- 5. योजना 2 हेक्टेयर से कम होने के कारण आवेदक से ईडब्ल्यूएस/एलआईटी की एवज में राशि ली गई है।
- 6. भूखण्ड पर टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की गई है।
- 7. भूखण्ड पर पैरामीटर्स भवन विनियम 2020 के अनुसार दिये गये हैं।
- 8. आवेदक से प्रकरण से संबंधित समस्त लेय राशि तथा बीएसयू/विकास शुल्क/पुनर्ग्रहण आदि लिए जा चुके हैं।
- 9. आन्तरिक विकास कार्य के एवज में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखण्ड जमिनीय में रहन रखे जाते हैं, जो कि निम्नानुसार हैं :- आवासीय भूखण्ड संख्या 3,8,10,11,12,13,14,56,57,72, एवं RETAIL COMMERCAL कुल क्षेत्रफल 1297.41 वर्गमीटर अतः योजना के कुल 10 भूखण्ड रहन रखे गये हैं।

सहायक नगर नियोजक
जोन-11
उपनिर्देशक
जोन-11
अति. मुख्य नगर नियोजक,
बी.पी.सी.(एल.पी.)

Table with 3 columns: KH. NO., 90A AREA, BALANCE AREA. Rows for KH. NO. 179, 180, 172 and a total row.

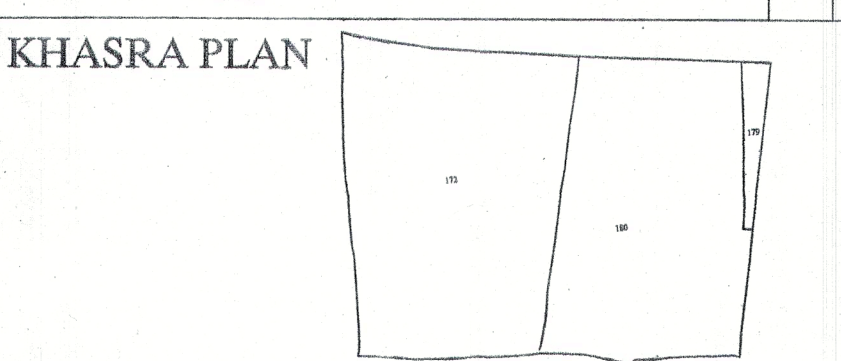
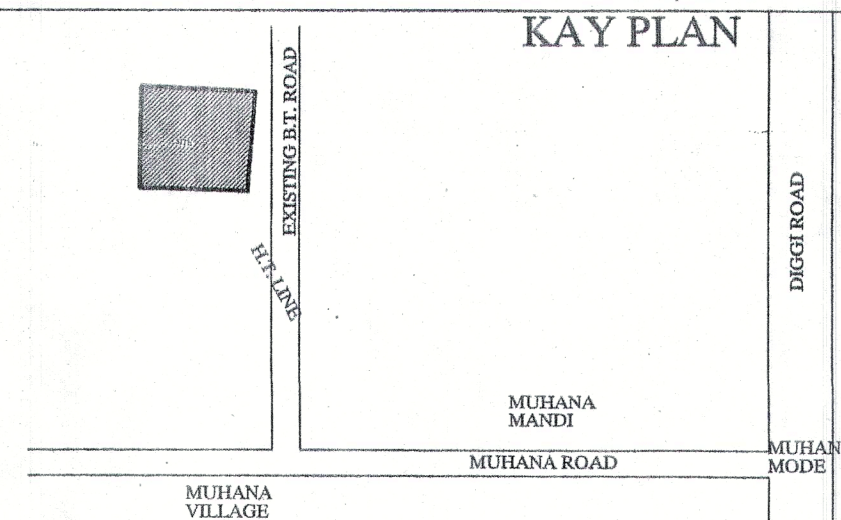


Table with 4 columns: S.NO., LAND USE, AREA(IN Sq.mtr), %. Rows for various land uses and a total row. Includes a section for NAME OF SOCIETY and NAME OF SCHEME.